

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2019-20/71/83

दिनांक : 25/7/2019

-:: कार्यालय आदेश ::-

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 18.07.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव—मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव—सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत्त राज. आवा. मं.,
10. आवासीय अभियन्ता, खण्ड राज. आवा. मं.,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के संबंध में प्रेस सूचना समाचार पत्रों में जारी करवाने का श्रम करें।
12. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (वृत्त) राजस्थान आवासन मण्डल,.....
13. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाइट पर डिलवाये व सभी को मेल करें।
14. रक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 18 JUL 2019

आदेश


नगर विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 नियम 17 एवं आवासन मण्डल के नियमों के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में उक्त नियमों के नियम 17(5)(111) में ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमन करने का प्रावधान है। नियम-31 में ब्याज व छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2019-20 में घोषणा संख्या 222 में विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डबल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17(5)(111) व सप्तित नियम 31 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डबल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व शास्ति में शत-प्रतिशत छूट एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजरथान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. आयुक्त, राजरथान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. समर्त सचिव, नगर विकास न्यास।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजरथान सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।


• संयुक्त शासन सचिव-तृतीय